न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किल कोर्ट रीवा
जिला रीवा (म0प्र0)

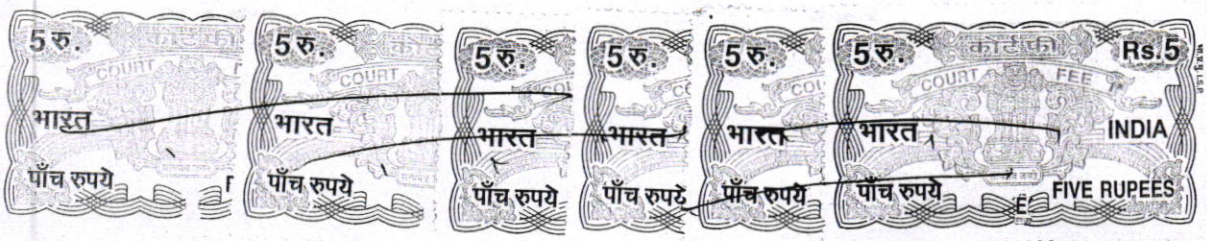

पियूषधर द्विवेदी आत्मज श्री अरूणधर द्विवेदी, उम्र लगभग 27 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम पचखोरा, तहसील व जिला सिगरौली (म0प्र0)

————————निगरानीकर्ता

बनाम

1— श्रीमती उर्मिला देवी पनिका धर्मपत्नी श्री रामलाल पनिका, निवासी ग्राम कचनी, तहसील व जिला सिगरौली (म0प्र0)

2— रामलखन पाण्डेय आत्मज श्री त्रिभुवन राम पाण्डेय, निवासी ग्राम कथुरा, तहसील एवं जिला सिगरौली (म0प्र0)

3— ओमप्रकाश पाण्डेय आत्मज श्री रामाधीन पाण्डेय, निवासी ग्राम कथुरा, तहसील एवं जिला सिगरौली (म0प्र0)

4— शशि प्रकाश पाण्डेय आत्मज श्री रामाधीन पाण्डेय निवासी ग्राम कथुरा, तहसील एवं जिला सिगरौली (म0प्र0)

5— रामलल्लू पाण्डेय आत्मज श्री घूरनराम पाण्डेय, निवासी ग्राम कथुरा, तहसील एवं जिला सिगरौली (म0प्र0)

6— अमित कुमार दुबे आत्मज श्री बी0एस0 द्विवेदी, निवासी ग्राम पचखोरा तहसील व जिला सिगरौली (म0प्र0)

————————**गैरनिगरानीकर्तागण**

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक—499/अपील/17—18 मे पारित आदेश दिनांक 20/12/2017

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1336/II/2018 निगरानी जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/7/18	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एस. सेंगर द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 499/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20–12–2017 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारॉश यह है कि, ग्राम पचखोर स्थित आराजी नंबर 664 रकबा 0.040 हैक्टर भूमि आवेदक ने पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से तत्कालीन भूमि स्वामी से दिनांक 21–11–2002 को कय की गई थी जिसका आवेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी एंव आधिपत्यधारी है। अनावेदिका श्रीमती उर्मिला देवी जो कि राजस्व निरीक्षक श्री रामलाल पनिका की पत्नी है, ने उपरोक्त आराजी कमांक 664 का जुज रकबा 0.020 हैक्टर एवं इसी आराजी का जुज रकबा 0.020 हैक्टर कय किया और राजस्व विभाग में पदस्थ होने का अनुचित लाभ लेते हुए इन दोनों टुकडों का एक प्लाट बनाकर नक्शे में तरमीम करा लिया। और इसी अनुसार खसरे में भी एक बटा नंबर 664/3 कायम करा लिया तथा आवेदक की भूमि का 664/4 अंकित करा दिया। 664/3 का प्लाट आवेदक की बाउण्डीशुदा भूमि के अंदर के हिस्से का अपने स्वत्व में तरमीम करा लिया इसी से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली के समक्ष एक शिकायती आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 171/बी–121/2015–16 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 23–5–2016 को आवेदक को प्रकरण नक्शा तरमीम से संबधिंत होने से अपील करने हेतु उल्लेख किया गयां। आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील सिंगरौली के प्रकरण कमांक 139/अ–3/2010–11 में पारित आदेश दिनांक	

8.8.2011 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 0031/अपील/2015–16 पर दर्ज कर आदेश दिनांक 30.10.17 को अमान्य की गई। जिसके विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक रीवा सभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 499/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20.2.17 से आवेदक की अपील ग्राह्यता के बिन्दु पर खारिज की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने । प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से प्रतीत होता है कि कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण कमांक 171/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.5.16 द्वारा अंतिम पैरा में अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली एवं उपखण्ड अधिकारी सिंगरोली का एक जांच दल गठित किया गया था जिसके द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख जिला सिंगरौली द्वारा दिनांक 7.4.16 को जांच प्रतिवेदन प्रंस्तुत किया था । अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.10.17 में पांचवे पैरा में स्पष्ट लेख किया गया है कि भूमिस्वामी द्वारा लैखिक एवं मौखिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा भी गई है । इससे

स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 20.12.17 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उनका आदेश दिनांक 20.12.17 स्थिर रखे जाने योगय है।

4—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 499 / अपील / 2017—18 में पारित आदेश दिनांक 20.12.17 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य